कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन [illegible] उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926

पत्रांक– 338 /9–1(3) दिनांक 01/11/ 2021

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **पंचायती वनों से सूखे–ऊखड़े वृक्षों के निस्तारण के संबंध में।**

संदर्भः– **प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड** का पत्रांक–क–317/9–1(3) देहरादून दिनांक–14 सितम्बर, 2021 व **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम** का पत्रांक–2800/13–1 (क) छपान दिनांक 8 सितम्बर 2021।

महोदया/महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड़ एवं प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम के उपरोक्त पत्रांक का अनुपालन वन पंचायत नियमावली के धारा 18 (घ) के अर्न्तगत किया जाना है। जिसमें निम्न तीन मानक पूर्ण होने पर ही उपरोक्त पत्र के अंतिम पैरा में उल्लिखित सुझाव के अनुसार वन पंचायतों में सूखे, उखडे वृक्षों का वाणिज्यिक निस्तारण किया जाये–

क्र0सं0	वृक्षों की संख्या	व्यास वर्ग (से0मी0)	मुख्य मार्ग से दूरी (कि0मी0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	15 से अधिक	20–30 से अधिक	3 से 5	वन विकास निगम के माध्यम से

1. कॉलम संख्या–2, 3 व 4 में उल्लिखित मानकों के पूरा होने पर वन विकास निगम के माध्यम से सूखे–ऊखड़े वृक्षों का निस्तारण किया जाये।
2. उक्त के अतिरिक्त शर्त संख्या– 2, 3 व 4 में से किसी भी एक शर्त के पूरा न होने पर सूखे–ऊखडे वृक्षों का निस्तारण वन प्रभाग द्वारा वन पंचायत नियमावली के धारा 18 (घ) के अनुसार किया जाय।
3. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन पंचायत सरपंचों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूखे–ऊखड़े वृक्षों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो पाये।

1/11/21

प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।

संख्या 338/9–1(3) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक HoFF, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ एवं गढ़वाल।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

1/11/21

प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत, उत्तराखण्ड।